

सशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अप्रैल, 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ गजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (लिक मजिस्ट्रेट), जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2024 में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक-पीए/2024/109 दिनांक 03.04.2024 में संशोधन करते हुए दिनांक 13.04.2024 व दिनांक 14.04.2024 के राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर न्यायक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई श्री गजेन्द्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर करेंगे।

जैसलमेर मुख्यालय

हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम	लिक न्यायालय का नाम
13.04.2024	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,	गजेन्द्र कुमार,
14.04.2024	जैसलमेर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. डॉ श्री अजय विश्वाई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
लिक न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अप्रैल, 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ गजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (लिक मजिस्ट्रेट), जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2024 में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी **रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक-पीए/2024/109 दिनांक 03.04.2024 में संशोधन करते हुए** दिनांक 13.04.2024 व दिनांक 14.04.2024 के राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर न्यायक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई श्री गजेन्द्र कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर करेंगे।

जैसलमेर मुख्यालय

हेतु-


दिनांक	न्यायालय का नाम	लिक न्यायालय का नाम
13.04.2024	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,	गजेन्द्र कुमार,
14.04.2024	जैसलमेर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. डॉ श्री अजय विश्रोई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
15. उपकारागृह, जैसलमेर।
16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
18. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(लिक मजिस्ट्रेट),
जैसलमेर